Azim Premji University

प्रेस विज्ञप्ति

तमाम कमियों के बावजूद मनरेगा ने कोविड-19 के दौरान भी निभाई सुरक्षा कवच के रूप में अपनी भूमिका: अध्ययन रिपोर्ट

नई दिल्ली और बेंगलुरु, अक्टूबर 13: महात्मा गाँधी ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 के तहत रोज़गार चाहने वाले 39% जॉब कार्ड-धारकों को कोविड वर्ष 2020-21 में एक दिन का रोज़गार भी हासिल नहीं हुआ। यही नहीं, अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा कोलेबोरेटिव रिसर्च एंड डिसेमिनेशन (सीओआरडी) और *नेशनल कंसोर्शियम ऑफ़ सिविल सोसाइटी ओर्गनइजेशन्स फॉर मनरेगा* की भागीदारी के साथ चार राज्यों के आठ ब्लॉक में किया गया 2000 परिवारों का सर्वेक्षण दिखाता है कि मनरेगा के तहत काम करने वाले परिवारों में से औसतन सिर्फ 36% को ही 15 दिनों के अंदर उनकी मज़दूरी का भुगतान किया गया।

अध्ययन में पाया गया कि इन सभी कमियों के बावजूद, मनरेगा ने महामारी के दौरान सबसे कमज़ोर परिवारों को आमदनी के गहरे झटके से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मनरेगा से होने वाली अतिरिक्त आमदनी से, परिवारों को महामारी के दौरान हुए आमदनी के नुकसान की विभिन्न ब्लॉक में 20 से 80 प्रतिशत तक की भरपाई हुई।

यह सर्वेक्षण नवंबर-दिसंबर 2021 में निम्नलिखित ब्लॉक में किया गया: बिहार में छातापुर (सुपौल) और फुलपरास (मधुबनी); कर्नाटक में बीदर (बीदर) और देवदुर्गा (रायचूर); मध्य प्रदेश में खालवा (खण्डवा) और घतिगाओं (ग्वालियर) और महाराष्ट्र में वर्धा (वर्धा) और सुर्गणा (नासिक)। अध्ययन का सैंपल चुनने का तरीका यह सुनिश्चित करता है कि सर्वेक्षण के निष्कर्ष सिर्फ चुने गए परिवारों की ही नहीं बल्कि ब्लॉक के सभी जॉब कार्ड-धारक परिवारों की तस्वीर पेश करते हैं।

अध्ययन के सह-लेखक और अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, राजेंद्रन नारायणन ने कहा “हमारा सर्वेक्षण दर्शाता है कि श्रमिकों के लिए मनरेगा कितना महत्व रखता है। हर 10 में से 8 परिवारों का कहना है कि मनरेगा के तहत प्रति वर्ष परिवार के हर व्यक्ति को 100 दिनों का रोज़गार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हमने मनरेगा के बजटीय आवंटन में भारी कमी भी पाई। हमारे अनुमान के अनुसार सर्वेक्षण में

शामिल किए गए ब्लॉक में लॉकडाउन के बाद की रोज़गार की मांग को पूरा करने के लिए आवंटित बजट से तिगुनी राशि की ज़रूरत थी।"

नरेगा कंसोर्शियम के अश्विनी कुलकर्णी ने कहा कि "मनरेगा का एक उद्देश्य आर्थिक संकट की घड़ी में सामाजिक सुरक्षा कवच की भूमिका निभाना भी है। कोविड महामारी और उसके बाद लगाए गए लॉकडाउन ने अप्रत्याशित आर्थिक संकट को जन्म दिया, और जैसा कि उम्मीद थी, मनरेगा ने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हुए, पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले, कहीं ज़्यादा गाँवों के कहीं ज़्यादा परिवारों को रोज़गार उपलब्ध कराया। आर्थिक झटके से उबरने में मनरेगा की भूमिका महामारी के बाद के समय में भी उतनी ही महत्वपूर्ण बनी हुई है। नागरिक समाज संगठनों के रूप में यह हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि लोगों की आवाज़ों को निति-निर्माताओं तक पहुँचाया जाए ताकि इस कार्यक्रम को और ज़्यादा कारगर बनाया जा सके, यह रिपोर्ट उसी दिशा में एक प्रयास है।"

इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्षों का आज नई दिल्ली में लोकार्पण किया गया है। इस सर्वेक्षण की विस्तृत रिपोर्ट अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पर उपलब्ध है: https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/

मुख्य निष्कर्ष:

- सभी ब्लॉक को देखें तो मनरेगा के तहत रोज़गार चाहने वाले करीब 39 प्रतिशत जॉब कार्ड-धारक परिवारों को एक दिन का रोज़गार भी हासिल नहीं हुआ जबकि वे औसतन 77 दिनों का रोज़गार चाहते थे।
- रोज़गार पाने वाले परिवारों की अनमेट डिमांड (अधूरी मांग), (यानी वे जितने दिनों का रोज़गार चाहते थे और उन्हें जितने दिनों का रोगार हासिल हुआ, उसके बीच का अंतर), सभी ब्लॉक के लिए 64 दिन थी।
- मनरेगा की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) से लिए गए आंकड़ों के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल किए गए सभी ब्लॉक में कोविड वर्ष (वित्त वर्ष 2020-21) में मज़दूरी पर खर्च की गई कुल राशि 152.68 करोड़ रूपए थी। हमारे अनुमान के अनुसार, इन सभी ब्लॉक में रोज़गार की वास्तविक मांग को पूरा करने के लिए आवंटित श्रम बजट की राशि 474.27 करोड़ रूपए, यानी मौजूदा स्तर से तिगुनी होनी चाहिए थी।

- जरूरत के अनुसार रोज़गार न मिल पाने का सबसे आम कारण कार्यों/परियोजनाओं का अपर्याप्त मात्रा में मंजूर/शुरू किया जाना था। सर्वेक्षण में शामिल किए गए सभी ब्लॉक के औसतन 63% जॉबकार्ड-धारक परिवारों ने इस कारण का उल्लेख किया।
- कोविड के दौरान काम करने वाले परिवारों में से औसतन सिर्फ 36% को ही 15 दिनों के अंदर उनकी मज़दूरी का भुगतान किया गया।
- कोविड-पूर्व और कोविड के दौरान, दोनों अवधियों में रोज़गार पाने वाले परिवारों की मनरेगा से होने वाली अतिरिक्त आमदनी से, महामारी के दौरान हुए आय के नुकसान की विभिन्न ब्लॉक में 20 से 80 प्रतिशत तक की भरपाई हो पाई।
- ऐसे परिवार, जिन्होंने कोविड-पूर्व वर्ष में मनरेगा के तहत काम नहीं किया था, लेकिन जिन्हें कोविड वर्ष के दौरान रोज़गार हासिल हुआ, उनके सन्दर्भ में हमने पाया कि मनरेगा से होने वाली आमदनी ने आय के अन्य स्रोतों से होने वाले नुकसान की 20 से 100 प्रतिशत तक की भरपाई हो पाई।
- हर 10 में से 8 परिवारों का कहना है कि मनरेगा के तहत प्रति वर्ष परिवार के हर व्यक्ति को 100 दिनों का रोज़गार उपलब्ध कराया जाना चाहिए और 5 में से 3 का कहना था कि उनके गाँव के विकास में मनरेगा का सकारात्मक योगदान रहा है।
- कम मज़दूरी और भुगतान में देरी के बावजूद, मनरेगा ने महामारी के दौरान आर्थिक रूप से सबसे कमज़ोर परिवारों को आमदनी के बड़े नुकसान से बचाकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन मनरेगा परिवारों को आमदनी के नुकसान से पूरी तरह से बचाने में सफल नहीं हो पाया क्योंकि या तो उनकी संपूर्ण मांग पूरी नहीं हो पाई या उन्हें कार्यक्रम के लाभ से पूरी तरह से वंचित रखा गया।

<u>अध्ययन की सिफारिशें:</u>

- रोज़गार की भारी मांग को पूरा करने के लिए कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर विस्तार करने की ज़रुरत है। ज़मीनी-स्तरीय कर्मचारियों की संख्या दोगुनी करते हुए प्रशासनिक कर्मचारियों की गिनती बढ़ाई जानी चाहिए।
- अनमेट डिमांड (अधूरी मांग) को पूरा करने के लिए मंज़ूर किए गए या संभावित कार्यों/परियोजनाओं की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए और व्यक्तिगत निर्माण कार्यों के बजाय सामुदायिक परियोजनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- काम की मांग करने पर मज़दूरों को कंप्यूटरीकृत रसीद दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- किए गए काम, कमाई गई मज़दूरी, आदि जैसी जानकारी को जॉबकार्ड में अपडेट किया जाना चाहिए। जॉबकार्ड पर हाथ से जानकारी दर्ज किए जाने के साथ-साथ बैंकों में पासबुक अपडेट

कराने की सुविधा की तर्ज पर सभी ग्राम पंचायतों में जॉब कार्ड प्रिंट करने की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

- फंड्स ट्रांसफर आर्डर (राशि हस्तांतरण आदेश) के तैयार किए जाने के बाद, किए गए कार्य और उसके लिए दी जा रही कुल मज़दूरी की जानकारी के साथ प्रिंट की गई वेतन रसीद मज़दूरों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- मनरेगा अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करते हुए, मज़दूरी के भुगतान में होने वाली पूरी देरी के लिए मुआवज़ा दिया जाए, यानी मज़दूरों के खातों में मज़दूरी के जमा होने तक की अवधि के लिए मुआवज़ा दिया जाए।
- सार्वजनिक स्थलों पर बैंकिंग अधिकारों और मनरेगा से जुड़े 'अपने अधिकारों को जाने' सूचना पटल प्रमुखता से दर्शाए जाने चाहिए।
- हर ग्राम पंचायत में सभी 7 रजिस्टरों में जानकारी को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। इसके ज़रिए, मज़दूरों के अनुभवों और एमआईएस में दर्ज की गई जानकारी के बीच में होने वाले किसी भी घालमेल पर निगरानी रखी जा सके।
- मनरेगा की मज़दूरी को, अनूप सतपथी समिति की सिफारिशों के अनुसार, कम से कम राज्य के न्युन्यतम वेतन या 375 रूपए प्रतिदिन तक बढ़ाया जाना चाहिए, और उन्हें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-खेत मज़दूर (CPI-AL) के बजाय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-ग्रामीण (CPI-R) से जोड़ा जाना चाहिए।
- ग्राम पंचायतों को वित्तीय राशि का अग्रिम भुगतान हो और कार्य/परियोजनाओं को मंजूर करने में उन्हें ज़्यादा स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इससे संविधान के 73वें संशोधन का अनुपालन और मांग के अनुसार रोज़गार की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है।
- पर्याप्त और सही समय पर वित्तीय राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए सोशल ऑडिट की प्रक्रिया को सशक्त बनाया जाना चाहिए। एनसीपीआई (NCPI), बैंक, यूआईडीएआई (UIDAI) सहित सभी संबंधित संस्थाओं को सोशल ऑडिट के दायरे में लाया जाना चाहिए, जिसके तहत उल्लंघनों के लिए दंड लगाए जाने से जुड़े स्पष्ट नियम तय किए जाए।

विस्तृत निष्कर्ष और जानकारी के लिए, देखें: https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/

मीडिया संबंधी प्रश्नों के लिए, संपर्क करें:

अमित बासोले – amit.basole@apu.edu.in | +91-96196 49958

राजेंद्रन नारायणन – rajendran.narayanan@apu.edu.in | +91-9620318492

रश्मी प्रभाकर – rashmi.prabhakar@k2communications.in | +91-9481934254

अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय

अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना कर्नाटक सरकार द्वारा पारित किए गए अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 के तहत की गई है। अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन, जो विश्वविद्यालय की प्रायोजक संस्था है, उसने इस विश्वविद्यालय की स्थापना पूर्ण रूप से लोकोपकारी और गैर-लाभकारी संस्था के रूप में की है, जिसका उद्देश्य न्यायपरक, समतामूलक, संवेदनशील और चिरस्थायी समाज के निर्माण में योगदान देना है।